भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 180
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

एमएसएमई में नकदी की कमी वाले स्टार्ट-अप

180. श्री अभय कुमार सिन्हा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य सहित देश भर में स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सामने आ रही नकदी की कमी का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में एमएसएमई क्षेत्र में निवेश में कोई उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बिहार में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में व्याप्त 'फंडिंग विंटर' और वित्तीय संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का औरंगाबाद लोक सभा क्षेत्र सहित बिहार में स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को ऋण सुविधाएं एवं निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किसी नई योजना या विशेष पहल का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारत सरकार ने बिहार राज्य सहित देश भर में इकोसिस्टम में वित्तीय संसाधनों का समर्थन प्राप्त करने हेतु वित्त तक पहुंच में सुधार करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने हेतु कई उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) लागू करता है ताकि एमएसई को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।

ii. एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है, जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है।

iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है, जिसमें विनिर्माण के लिए परियोजना लागत 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए है।

iv. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों के साथ काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई। इस स्कीम में अधिकतम 8% तक के ब्याज सबवेंशन के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

(ख) और (ग) : बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण वित्त वर्ष 2022-23 में 40029.60 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 63666.35 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 62.87% की वृद्धि दर्शाता है। सीजीटीएमएसई के संबंध में-बिहार में अनुमोदित क्रेडिट गारंटी की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 42360 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,21,458 हो गई है, जो 19% की वृद्धि दर्शाती है। गारंटी की अनुमोदित राशि वित्त वर्ष 2022-23 में 3468 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 14120 करोड़ रुपए हो गई है, जो लगभग 25% की वृद्धि दर्शाती है।

बिहार में पीएमईजीपी के संबंध में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 12,123.2 करोड़ रुपए की संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या 4459 है जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15045.14 करोड़ रुपए की संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या 5035 है जो सहायता प्राप्त इकाइयों के संदर्भ में लगभग 98% और संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के संदर्भ में लगभग 81% की वृद्धि को दर्शाता है।

एमएसएमई मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, एनबीएफसी, सीजीटीएमएसई और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई के लिए जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं के लिए नियमित आधार पर आउटरीच कार्यक्रम/हितधारकों के परामर्श का आयोजन करता है।

(घ) : संघीय बजट 2024-25 में एमएसएमई को विकास करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता को कवर करने वाले पैकेज की घोषणा की गई है, जैसा कि निम्नानुसार है:

(i) स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि;
(ii) सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड; और
(iii) निर्यात संवर्धन मिशन
